भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 693**

(जिसका उत्तर 16 अगस्‍त, 2012/25 श्रावण, 1934 (शक) को दिया जाना है)

राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के अध्‍यक्षों की नियुक्ति के लिए मानक

693**. श्री नरेश अग्रवाल:**

 क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के अध्‍यक्षों की नियुक्ति के लिए क्‍या-क्‍या मानक आवश्‍यक हैं;

(ख) क्‍या यह सच है कि भारतीय स्‍टेट बैंक और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) के अध्‍यक्षों की नियुक्ति इन मानकों के विपरीत कर दी गई; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क):** सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति हेतु अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्‍ट्रीयकृत बैंकों के कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक लि. के उप-प्रबंध निदेशक तथा भारतीय स्‍टेट बैंक के सहयोगी बैंकों के प्रबंध निदेशक जो सहयोगी बैंकों की सेवा से आए हों और जिन के पास 2 वर्षों का अनुभव हो तथा रिक्ति वाले वर्ष के 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार 2 वर्षों की सेवा शेष हो, नियुक्ति पर विचार के लिए पात्र हैं। व्‍यापक विकल्‍प के लिए तथा आवश्‍यकतानुसार अन्‍य वित्‍तीय संस्‍थाओं के पूर्ण कालिक निदेशक जिनकी नियुक्ति मंत्रिमण्‍डल की नियुक्ति समिति द्वारा की जाती है, की नियुक्ति पर भी विचार किया जा सकता है। बैंकिंग पृष्‍ठभूमि वाले अधिकारियों को अधिमान दिया जाता है। जब अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्ति पर विचार किए जाने के लिए अपेक्षित संख्‍या में अधिकारी उपलब्‍ध न हों, तो अभ्‍यर्थी के अनुभव और उसकी शेष सेवा के सन्‍दर्भ में पात्रता-मानदंड को शिथिल किया जा सकता है।

**(ख) और (ग):** भारतीय स्‍टेट बैंक के अध्‍यक्ष तथा आईडीबीआई बैंक लि. के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति लागू मानदण्‍डों के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अलग-अलग की जाती है।